न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी, जिला जोधपुर

भंवरलाल दहिया बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी

राजस्व विविध प्रार्थना संख्या 1057/2025

अन्तर्गत धारा :– तरमीम दुरूस्ती

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04-6-2025	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी भंवरलाल दहिया पुत्र श्री अमृतलाल निवासी ग्राम लूणी एवं तहसील लूणी द्वारा द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम शिकारपुरा के खसरा नंबर 308/2 में तरमीम दुरस्ती का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार लूणी को इस कार्यालय के पत्रांक राजस्व/2025/832 दिनांक 04.04.2025 के द्वारा तहरीर जारी कर प्रकरण में जवाब/जांच हेतु लिखा गया। तहसीलदार लूणी के प्त्रांक/भू.अ./2025/1582 दिनांक 27.05.2025 के द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रालवी की गई। तहसीलदार लूणी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम शिकारपुरा के खसरा नंबर 308/2 व 308/3 की तरमीम वक्त सेग्रीगेशन भूनक्शा पोर्टल पर मौका एवं रेकर्ड अनुसार गलत तरमीम दर्ज हुई है जांच रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार शुद्ध किया जाने हेतु अपेक्षित बताया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार लूणी रिपोर्ट अनुसार ग्राम शिकारपुरा के खसरा नंबर 308/2 व 308/3 की राजस्व रेकर्ड में तरमीम दुरूस्त करने की अनुशंषा किये जाने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत तरमीम दुरूस्ती स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा तरमीम दुरूस्ती का स्वीकार किया जाकर ग्राम शिकारपुरा के खसरा नंबर 308/2 व 308/3 की तरमीम राजस्व रेकर्ड में मौका एवं रेकर्ड अनुसार जांच रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार शुद्ध किया जाकर रेकर्ड दुरस्ती का अमल दरामद करें। आदेश सुनाया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी	